समाचार पत्र पंजीयन क्र.: MPBIL/2004/13955 डाक पंजीयन संख्या: म.प्र./भोपाल/4–461/2018–20 मूल्य : रू. 10/–

Reg. No. 756-13.02.1960

उद्यम प्रेरणा

6 दशकों से MSME की सेवा में समर्पित

NABET Gold Category

वर्षः 17 अंकः 22 भोपाल प्रकाशन दिनांकः 25.11.2020

पाक्षिक पोस्टिंग दि. 15 एवं 30 प्रत्येक माह पृष्ट–06 (परिपत्र क्र. 48)

परिपत्र क्रमांक : 48

क्रमांकः एमपीएसएसआईओ/15/2020–21/979–990 दिनांकः 24.11.2020

प्रति,

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह
माननीय श्रम मंत्री, म.प्र. शासन,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल।

विषयः कारखानों के पंजीयन एवं नवीनीकरण बावत्।
संदर्भः संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा म.प्र. इन्दौर का आदेश क्रं. 2057–71 दिनांक 20.11.2020

आदरणीय महोदय,

विधि और विधायी कार्य विभाग म.प्र. शासन द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 263 दिनांक 20 अगस्त 2020 में म.प्र. अध्यादेश क्रमांक 8 सन् 2020 प्रकाशित किया गया है। तदानुसार केन्द्रीय अधिनियम 1948 का 63 तथा केन्द्रीय अधिनियम 1970 का 37 का अस्थायी रूप से संशोधन निम्नानुसार किया गया था।

भाग दो
कारखाना अधिनियम, 1948 का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, 1948 का 36 का संशोधन

3. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) (जो इसमें इसके पश्चात् इस भाग में मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) इससे इसके पश्चात् इस भाग में उपबंधित रीति में संशोधन किया जाए.

धारा 2 का संशोधन

4. मूल अधिनियम में, धारा 2 में, खण्ड (ड) में.
(एक) उप–खण्ड (एक) में, शब्द ''दस या उससे अधिक'' के स्थान पर, शब्द ''पचास या उससे अधिक'' स्थापित किए जाएं;
(दो) उप–खण्ड (दो) का लोप किया जाए.

उपरोक्त अध्यादेश के प्रभावशील होने से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों ने बड़ी राहत महसूस की थी तथा इस हेतु उद्योगों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया था। इस संदर्भ में हम आपको यह अवगत कराना अपना कर्तव्य समझते है कि, संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इन्दौर का पत्र क्रमांक 257–71 दिनांक 20.11.2020 उपरोक्त अध्यादेश के प्रभावशीलता पर विपरीत असर डाला है। तत्संबंध में निम्न विचारणीय बिन्दु हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. विधि और विधायी कार्य विभाग म.प्र. सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश ''आत्मनिर्भर म.प्र.'' के संदर्भ में लिया गया एक सराहनीय कदम था।
2. उक्त अध्यादेश में संदर्भित धाराओं को अस्थायी रूप से संशोधित करने का उल्लेख है, जबकि, संचालनालय के संदर्भित आदेश में स्थगित करने का लेख किया गया है। शब्द संशोधन तथा स्थगन समानार्थी शब्द न होने से भ्रम की स्थिति बनती है।
3. संचालनालय के आदेश से उद्योगों में म.प्र. सरकार के निर्णयों के प्रति विश्वास में कमी तथा यह एक चिंतन का विषय हो गया है कि, म.प्र. राज्य का सुशासन का प्रशासन म.प्र. को आत्मनिर्भर बनाने में कितना सहयेागी होगा।
4. अध्यादेश में अस्थाई संशोधन 'म.प्र. की सरकार के केबिनेट द्वरा लिया गया निर्णय था, जिसे एक निश्चित अवधि में अधिनियम बनाना होता है। यह प्रशासनिक चूक है।
5. म.प्र. शासन को फेक्ट्री एक्ट के लाईसेंस के नवीनीकरण के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों द्वारा मात्र लगभग रू. 5 करोड़ के वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होती है।
6. मात्र रू. 5 करोड़ के वार्षिक राजस्व की प्राप्ति के स्थान पर म.प्र. सरकार के लिये हजारों लाखों सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को श्रम अधिनियम से मुक्ति देना ज्यादा लाभकारी होगा।
7. ''आत्मनिर्भर म.प्र.'' के लिये यह आवश्यक है कि, हम उद्योग एवं व्यापार को उन्मुक्त तरीके से कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करें। उद्योगों के विकास से स्वमेव ही अन्य माध्यमों से म.प्र. सरकार को राजस्व की प्राप्ति सुगमता से हो जायेगी।

अतः हमारा आपसे निवेदन है कि, आप शीघ्र से शीघ्र केन्द्रीय अधिनियम 1948 का 63 तथा केन्द्रीय अधिनियम 1970 का 37 के स्थायी रूप से संशोधन करने की कृपा करें। साथ ही साथ संचालनालय औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक 2057–71 दिनांक 20.11.2020 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। इस संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज तथा पूर्व में किये गये पत्राचार संलग्न है।

सधन्यवाद।

भवदीय

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(विपिन कुमार जैन)
महासचिव

प्रतिलिपिः

1. श्री शिवराजसिंह चौहान, माननीय मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. श्री ओमप्रकाश सकलेचा, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, एमएसएमई विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. डॉ. राजेश राजोरा, अपर प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. श्री संजय शुक्ला, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. श्री विवेक पोरवाल, सचिव, म.प्र. शासन, एमएसएमई विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इन्दौर।
9. श्री भास्कर लक्षाकार, संचालक, एमएसएमई, म.प्र., विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
10. प्रदेश के सभी प्रमुख व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों की ओर।
11. श्री अरूण जैन, अध्यक्ष, म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन, जबलपुर।

(विपिन कुमार जैन)
महासचिव

संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इंदौर

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड़ इंदौर–452 007
फोन–0731–2533482 फेक्स–0731–2544264 ई–मेल–dihsindore@gmail.com

क्रमांकः 2057–71 इंदौर, दिनांक 20-11-20

प्रति,

संयुक्त/उप/सहायक संचालक,
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,
इंदौर संभाग/इंदौर (मु)/भोपाल/जबलपुर/सतना/देवास/उज्जैन/
खण्डवा/ग्वालियर/सिंगरौली/बीना/
हायज़िन लेब–इंदौर/मंदसौर/पीथमपुर

विषयः–कारखानों के पंजीयन एवं नवीनीकरण बाबद।

---0---

आप अवगत है कि म.प्र. राजपत्र में दिनांक 20.08.2020 को प्रकाशित अध्यादेश के द्वारा तत्समय 10 से 50 नियोजन वाले कारखानों के पंजीयन व नवीनीकरण कार्य को अस्थाई रूप से स्थगित किया गया था। इस अनुक्रम में कृप्या सूचित हो कि वर्तमान में 10 से 50 नियोजन वाले कारखानों के पंजीयन व नवीनीकरण का कार्य विभाग के अधिकारिक पोर्टल, एम.पी. ऑनलाइन, पर पुनः आरंभ कर दिया गया है।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

20/11/2020

संचालक
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
म.प्र. इंदौर

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263] भोपाल, गुरूवार, दिनांक 20 अगस्त 2020––श्रावण 29, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020

क्र. 9557–150–इक्कीस–अ(प्रा.). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. गुप्ता, अवर सचिव

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक 8 सन् 2020

श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020

विषय–सूची

भाग एक

प्रारंभिक

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
2. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम 1948 का 63 तथा केन्द्रीय अधिनियम 1970 का 37 का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

भाग दो

कारखाना अधिनिम, 1948 का संशोधन

3. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम 1948 का 63 का संशोधन.
4. धारा 2 का संशोधन.

भाग तीन

ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम, 1970 का संशोधन

5. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप से केन्द्रीय अधिनियम 1970 का 37 का संशोधन.
6. धारा 1 का संशोधन.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक 8 सन् 2020

श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 20 अगस्त, 2020 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में कारखाना अधिनियम, 1948 और ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम, 1970 को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत; राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

और यत; भारत के संविधान के अनुच्छेंद 213 के खण्ड (1) के परंतुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार राष्ट्रपति के पूर्व निर्देश प्राप्त किए जा चुके हैं.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :

भाग एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 है.
(2) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, 1948 का 63 तथा केन्द्रीय अधिनियम, 1970 का 37 का अस्थायी रूप से संशोधन किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तन को कालावधि के दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) तथा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 (1970 का 37) भाग दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

भाग दो
कारखाना अधिनियम, 1948 का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, 1948 का 36 का संशोधन

3. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) (जो इसमें इसके पश्चात् इस भाग में मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) इससे इसके पश्चात् इस भाग में उपबंधित रीति में संशोधन किया जाए.

धारा 2 का संशोधन

4. मूल अधिनियम में, धारा 2 में, खण्ड (ड) में.
(एक) उप–खण्ड (एक) में, शब्द ''दस या उससे अधिक'' के स्थान पर, शब्द ''पचास या उससे अधिक'' स्थापित किए जाएं;
(दो) उप–खण्ड (दो) का लोप किया जाए.

भाग तीन
ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम, 1970 का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, 1970 का 37 का संशोधन

5. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) (जो इसमें इसके पश्चात् इस भाग में मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) इसमें इसके पश्चात् इस भाग में उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा 1 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम में, धारा 1 में, उपधारा (4) में.
(एक) खण्ड (क) में, शब्द ''बीस या उससे अधिक कर्मकार'' के स्थान पर शब्द ''पचास या उससे अधिक कर्मकार'' स्थापित किए जाएं ;
(दो) खण्ड (ख) में शब्द ''बीस या उससे अधिक कर्मकार'' के स्थान पर, शब्द ''पचास या उससे अधिक कर्मकार'' स्थापित किए जाएं ;
(तीन) परंतुक में, शब्द ''बीस से कम कर्मकार'' के स्थान पर, शब्द ''पचास से कम कर्मकार'' स्थापित किए जाएं.

भोपालः
तारीख 17 अगस्त, 2020

अनंदीबेन पटेल
राज्यपाल मध्यप्रदेश

विनम्र निवेदन

मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन की सदस्यता शुल्क की बकाया राशि का देयक (Bill) आपको जुलाई 2020 में ई–मेल/वाट्सअप द्वारा भेजा जा चुका है। तत्पश्चात स्मरण भी कराया गया है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि, आपकी ओर देय सदस्यता शुल्क की राशि शीघ्रातिशीघ्र भिजवाने का कष्ट करें। जिन सदस्यों ने सदस्यता शुल्क की राशि जमा करा दी है, कृपया इस निवेदन को नजरोअंदाज करने की कृपा करें।

चेक ''म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन'' के नाम भोपाल में देय होगा। आर्गेनाइजेशन का बैंक विवरण निम्नानुसार है। आप बैंक खातें में भी राशि सीधे जमा करा सकते है। तत्संबंधी सूचना हमें अवश्य देने का कष्ट करें, जिससे आवश्यक पावती रसीद आपको प्रेषित की जा सकें।

Our Bank Details:

a. Name of A/c : MP Small Scale Industries Organization
b. Bank Name: Union Bank of India, Arera Colony Branch, Bhopal.
c. IFS Code: UBIN0545171
d. A/c No. : 451702010003610

उद्यम प्रेरणा में विज्ञापन की दरें

विज्ञापन मे उद्योगों से संबंधित प्लाट एवं मशीनरी की खरीदी बिक्री, औद्योगिक इकाई के बेचने एवं खरीदने संबंधी, उत्पाद/सेवाओं के प्रचार प्रसार, कच्चे माल की आपूर्ति एवं प्रदायकर्ता की तलाश, निविदाएं, श्रम शक्ति की आवश्यकता, स्पेशलाइजेशन सेवाओं की आपूर्ति अन्य जानकारी आदि दिये जा सकते है। अपनी आवश्यकतानुसार विज्ञापन दे कर लाभ उठाएँ।

1. फुल पेज (A4 size) ब्लेक एण्ड व्हाईट — रू. 2000.00
2. आधा पेज (A4 size) ब्लेक एण्ड व्हाईट — रू. 1100.00
3. एक चौथाई पेज (A4 size) ब्लेक एण्ड व्हाईट — रू. 600.00

MPSSIO की ओर से संपादक **विपिन कुमार जैन** द्वारा **मोना इन्टरप्राईजेस, न्यू मार्केट, भोपाल** से मुद्रित, **विपिन कुमार जैन** द्वारा प्रकाशित तथा **ई–2/30, महावीर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016** में प्रकाशित Ph.: 0755–2467714, 4917785 email: mpssio@rediffmail.com, Website: www.mplus.co.in